

आर्य समाज के नाम पर 14 दिनांक 20 मई 1996


संख्या:- 600/52-2-96-59/96

संख्या दिनांक, 20 मई, 1996.

अभिज्ञान

एक वर्ष अधिनियम, 1995। अधिनियम संख्या, 43 मई 1995 उत्तर प्रदेश राज्य में 1, जनवरी, 1996, को प्रस्तावित हो चुका है,

आर्य, अथ, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदान की गई है। प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार अधिकाधिक को उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के उक्त दिनांक से अपनी कानूनी के लिए में प्रदान करावक सर्वे अभिलेख चरक विपुला करते हैं।




अज्ञान से

150 काली बर्तिका
सचिव,

संख्या:- 600/11/52-2-96, तददिनांक

प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की प्रति प्रति संस्था: निदेशक राजकीय सेवा, समाज संस्था को सरकारी मजदूरी के अभाव में प्रदान करावक प्रेषित।



अज्ञान से,


150 काली बर्तिका
सचिव,

संख्या:- 600/21/52-2-96-59/96 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुझाव एवं आचार्यक का आदेश

देव प्रेषित:-

- 111 सर्वे अभिलेख चरक, उत्तर प्रदेश, संस्था।
- 121 समस्त मजदूरी, उत्तर प्रदेश।
- 131 समस्त विभागीय, उत्तर प्रदेश।
- 141 प्रधान निदेशक, उ० प्र० चरक विभागीय सेवा, संस्था।
- 151 निदेशक, अथ संस्था चरक उत्तर प्रदेश संस्था।
- 161 समस्त विभागीय अथ संस्था अधिकाधिक, उ० प्र०।



अज्ञान से,

150 काली बर्तिका
सचिव,